कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 184/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 12.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 12.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट, दिनांक 12.05.2026
थाना तरवां, जनपद आजमगढ़।

➡आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ में ट्रैक्टर-पिकअप चोरी गैंग का शातिर बदमाश घायल गिरफ्तार।

➡थाना तरवां पुलिस व SOG टीम ने घेराबंदी कर चोरी का ट्रैक्टर, पिकअप, तमंचा, कारतूस, 06 बोरी अनाज व नकदी बरामद की।

➡गिरफ्तार बदमाशों पर वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया व प्रयागराज समेत कई जनपदों में चोरी, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर के दर्जनों मुकदमे दर्ज।

पूर्व की घटना-

दिनांक 02.05.2026 को वादिनी मुकदमा पूनम गिरी पत्नी सुरेन्द्र गिरी ग्राम मौलानीपुर थाना तरवाँ जिला आजमगढ़ ने थाना तरवां पर तहरीर दिया था कि 01.05.026 की रात्रि में वादिनी का ट्रैक्टर वादिनी के मकान से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है । जिसके सम्बन्ध में थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 82/2026 धारा- 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर अज्ञात चोर की तलाश की जा रही थी ।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ का विवरण-

दिनांक 11/12.05.2026 की रात्रि में थानाध्यक्ष तरवां चन्द्रदीप कुमार मय हमराह, उ0नि0 रूपेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी रासेपुर मय हमराह, उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी बोगरिया मय हमराह चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन एवं वांछित अपराधियों की तलाश में बोगरिया बाजार मे मौजूद थे कि सूचना मिली कि चोरी के ट्रैक्टर व पिकअप के साथ चोर कंचनपुर से बोगरिया मार्ग पर आ रहे है, जिनके पास अवैध असलहा भी है । इस सूचना पर मौजूद पुलिस बल ने बांसगाव तिराहा (कंचनपुर बाजार से आने वाला) पर पहुंचकर घेराबन्दीकर वाहनों की चेकिंग प्रारम्भ किया । कुछ समय पश्चात पिकअप और ट्रैक्टर आते दिखाई दिये जिन्हे रोकने का प्रयास किया गया तो पीकप चालक गाड़ी रोकते ही हड़बड़ा कर भागने का प्रयास किया जिसे उ0नि0 रुपेश कुमार सिंह ने पकड़ लिया तथा पीछे रहे ट्रैक्टर के चालक ने थोड़ी दूरी पहले ही ट्रैक्टर रोक दिया व पुलिस बल को ट्रैक्टर की तरफ आता देखकर चालक, उतर कर भागने का प्रयास करने लगा । पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया तो पुलिस बल को जान से मारने की नियत से लक्ष्य बनाकर फायरिंग करने लगा । पुलिस बल द्वारा आत्मसमर्पण करने की पर्याप्त चेतावनी के पश्चात आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गयी जिसमें बदमाश के **बाये पैर मे गोली** लगी । घायल बदमाश की पहचान विनोद उर्फ सिन्टू पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम मीरपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर उम्र करीब 26 वर्ष के रुप में हुयी है । जिसके पास से 01 तमन्चा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 मिस जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 ट्रैक्टर, बरामद हुआ है । जिसे उपचार हेतु प्रा0स्वा0 केन्द्र तरवां भेजा गया ।

अभियुक्त अमित कुमार उर्फ धासू पुत्र वंशराम निवासी बारोडीह (सदरजहांपुर) थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष के पास से 01 पीकप वाहन, 06 बोरी अनाज व 4500/- रुपये बरामद हुआ ।

दोनों अभियुक्तों को आज दिनांक 11/12.05.2026 की रात्रि में समय करीब 00.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 92/2026 धारा- 109(1) बी0एन0एस0 व धारा- 3/25/5/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>- मु0अ0सं0- 92/2026 धारा- 109(1) बी0एन0एस0 व धारा- 3/25/5/27 आर्म्स थाना तरवां जनपद आजमगढ़।
<u>बरामदगी</u>- 01 तमन्चा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 मिस जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 ट्रैक्टर, 01 पीकप वाहन, 06 बोरी अनाज व 4500/- रुपये

<u>पूछताछ का विवरण</u>-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उसका एक संगठित गैंग है जो योजना बनाकर चोरी की घटनाएं कारित करते है तथा चोरी के सामानों को बेचकर पैसे आपस में बांट लेते है। उक्त ट्रैक्टर के बारे में बताया कि दिनांक 01.05.2026 को थाना तरवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मौलानीपुर में घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को साथियों के साथ चोरी किया था।

थाना देवगांव क्षेत्रान्तर्ग ग्राम कोटा खुर्द से किराना की दुकान के सामने खड़ी टैम्पो लोडर पर लदा 06 कुंतल गेहूं चोरी कर पिकअप लादकर लेकर चले गये थे।

मार्च महीने में होली के पहले पल्हना बाजार की एक दुकान से अपने साथियों के साथ मिलकर परचून की दुकान से सामान चोरी कर पिकअप पर लाद कर ले गये थे।

पिकअप वाहन के सम्बन्ध में बताया कि दिनांक 24/25 मार्च 2026 की रात्रि में गैंग के सदस्य के घर के सामने खड़ी थी, जिसे चोरी कर लिया गया।

<u>आपराधिक इतिहास</u>-

<u>अभियुक्त विनोद उर्फ सिन्टू पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम मीरपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर।</u>

1. मु0अ0सं0- 0857/2016 धारा-20/8बी NDPS ACT थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0- 272/2023 धारा-379,411 भादवि थाना मडुवाडीह जनपद वाराणसी
3. मु0अ0सं0- 484/2016 धारा-379,411,419,420,467,468,471 भादवि थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी
4. मु0अ0सं0- 192/2023 धारा-379,411 भादवि थाना भटनी जनपद देवरिया
5. मु0अ0सं0- 83/2023 धारा-379,411 भादवि थाना शाहगंज जनपद प्रयागराज
6. मु0अ0सं0- 779/2016 धारा-380,411,414, भादवि थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर
7. मु0अ0सं0- 789/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर
8. मु0अ0सं0- 161/2017 धारा -3(1) गैगेस्टर एक्ट भादवि थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर
9. मु0अ0सं0- 344/2024 धारा-305(a), 317(2), 331(a) BNS थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर
10. मु0अ0सं0- 752/2016 धारा-380,411,457 भादवि थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर
11. मु0अ0सं0- 179/2024 धारा-305(a), 317(2), 331(a) BNS भादवि थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर
12. मु0अ0सं0- 180/2024 धारा-305(a), 317(2), BNS भादवि थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर
13. मु0अ0सं0- 183/2024 धारा 3/25आर्म्स एक्ट भादवि थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर

<u>अभियुक्त अमित कुमार उर्फ धासू पुत्र श्री वंशराम निवासी बारोडीह(सदरजहांपुर) थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष।</u>

1. मु0अ0सं0- 82/2026 धारा 303 (2)BNS थाना तरवां जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 -174/2026 धारा – 303(2)बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0- 80/2026 धारा -305बीएनएस थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/मुठभेड़ में सम्मिलित पुलिस बल-

1.थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार थाना तरवां जनपद आजमगढ

2. उ0नि0 रूपेश कुमार सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

3.हे0का0 नित्य प्रकाश सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

4.का0 अजय यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़

5.उ0नि0 कृष्ण कुमार मिश्रा थाना तरवां जनपद आजमगढ़

6.का0 विकास सिंह, थाना तरवां जनपद आजमगढ़

7.का0 अजय सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

8.का0श्रीविलास थाना तरवां जनपद आजमगढ़

9.का0 जितेन्द्र निषाद थाना तरवां जनपद आजमगढ़

SOG टीम-

1. उ0नि0 शशिकान्त यादव
2. हे0का0 प्रमोद यादव
3. का0 बसंत लाल
4. का0 विकास ठाकुर
5. का0 जय देव सर्विलास सेल आजमगढ़